न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

परिवाद संख्याः 551/2017

आरती देवी प्रति दारासिंह आदि।

दिनांक 11-10-2017

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विपक्षी दारा सिंह व चार अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323,379,504,506 भा०दं०सं० के अधीन आहूत कर दण्डित किये जाने की प्रार्थनापत्र की गयी है।

संक्षेप में परिवादिनी का परिवादपत्र के अनुसार कथन है कि परिवादिनी व परिवादिनी के पति के बीच एक दहेज प्रथा का मुकदमा लम्बित है। परिवादिनी दिनांक 101-07-2017 को न्यायालय से तारीख लेकर अपने घर जा रही थी कि समय करीब 2.00 बजे सी.पी. स्कूल के तिराहे पर अभियुक्तगण परिवादिनी को खींचकर जीप में डालने लगे। परिवादिनी द्वारा विरोध करने पर विपक्षीगण परिवादिनी के साथ गाली-गलौज करने लगे तथा परिवादिनी के पति ने परिवादिनी को लात-घुसों को मारापीटा। उक्त मारपीट में परिवादिनी का पर्स गिर गया जिसमें परिवादिनी के पांच सौ रुपये व सोने के कुन्डल रखे थे, विपक्षीगण ने चोरी-छिपे छीन लिया। शोरगुल की आवजा पर रास्तागीर व गांव के बाजार करने आये शिवचरन अवनीश आदिल लोगों ने परिवादिनी को बचाया। विपक्षीगण परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। परिवादिनी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जाना बताया।

परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन व साक्षीगण अवनीश कुमार एवं शिवचरन को धारा 202 दं०प्र०सं० के अधीन पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित कराया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति एवं रजिस्ट्री रसीद दाखिल की है।

मैंने परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादिनी के अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन परीक्षित कराते हुए कथन किया है कि परिवादिनी 11 जुलाई को अपने मुकदमें तारीख लेने आयी थी। तारीख लेने के बाद परिवादिनी जैसे ही सी0 पी0 तिराहे पर पहुंची तो अभियुक्तगण ने परिवादिनी को घेर लिया तथा दरियाव सिंह ने परिवादिनी को मार्शल गाडी में डाल दिया। परिवादिनी के पति ने परिवादिनी को लात-घुसों से मारापीटा तथा फैसले हेतु दबाव डाला। अभियुक्तगण ने परिवादिनी के पांच सौ रुपये व कुण्डल छीन लिए। राहगीर शिवचरन व अवनीश आदि लोगों ने परिवादिनी को बचाया। परिवादिनी के उपरोक्त कथनों का समर्थन परिवादिनी द्वारा परीक्षित साक्षीगण पी डब्लू 1 एवं पी डब्लू 2 ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. के साक्ष्य में किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में कथन किया कि वह दोपहर को अकेली पैदल जा रही थी तभी सी.पी. चौराहे पर दारासिंह, धीरेन्द्र, धर्मेन्द्र, किशन व वीरेन्द्र ने घेर लिया। परिवादिनी द्वारा घटना दोपहर को चौराहे की बतायी गयी है। चौराहा अत्यन्त भीड़मय व फिर परिवादिनी ने कथन किया कि दरियाव सिंह ने उसे उठाकर मार्शल गाडी में डाल लिया, फिर उसे उसके पति दारा सिंह ने लातघूसों से मारापीटा एवं कहा कि फैसला कर लो। इसी बीच पांच रुपये व सोने के कुण्डल छीन लिये। साक्षी पी डब्लू 1 अवनीश ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में कथन किया कि मारपीट के दौरान आरती का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसे विपक्षीगण ने चोरी से उठा लिया। यहां यह बडा अटपटा सा लगता है कि किस तरह इतने लोगों ने एक पर्स को चोरी छिपे ले लिया। पी डब्लू 2 शिवचरन ने भी अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में यहीं कथन किया है। परिवादिनी तथा परिवादिनी द्वारा परिक्षित साक्षीगण के साक्ष्यों में गम्भीर विरोधाभाष है। अतः चोरी की घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टितग रखते हुए अभियुक्त दारा सिंह के विरूद्ध धारा 323,504,506 भा०दं०सं० के अधीन आहूत करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अन्य धाराओं में एवं अन्य अभियुक्तगण को तलब करने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार उक्त अभियुक्त उक्त धारा के अधीन आहूत होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त दारा सिंह को धारा 323,504,506 भा०दं०सं०के अधीन द्वारा समन आहूत किया जाता है। परिवादिनी उपक्रम अन्दर 7 दिन धारा 204 दं०प्र०सं० के अधीन करे। परिवादिनी सूची गवाहन भी प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 13-11-2017 को पेश हो।

न्या०मजि०कायमगंज

फर्रुखाबाद।